संख्या- 46 /2018/783/24-1-18-459/2017

प्रेषक:

इन्द्रराज सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (नवीन) के अन्तर्गत विद्युत वितरण कार्यों हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-431/ मु0म0प्र0 (वित्त) /वि0प्र0-2 / आय-व्ययक /299/2017-18 टी0सी0, दिनांक 24 मार्च, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऊर्जा विभाग हेतु समाज कल्याण विभाग के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपये 1207,39,95,000/- (रूपये बारह सौ सात करोड़ उनतालिस लाख पन्चाननबें हजार मात्र) लेखाशीर्षक- ''4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-06-ग्रमीण विद्युतीकरण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-1-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम) उ0प्र0 विद्युत निगम में अंशपूँजी विनियोजन) के0 100/रा0के0-90 प्रतिशत अनुदान+ 10 प्रतिशत ऋण-के0) 30-निवेश/ऋण के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से धनराशि रूपये 526,11,60,000/- (रूपये पॉच सौ छब्बीस करोड़ ग्यारह लाख साठ हजार मात्र) को संलग्नक बी0एम0-9 के अनुसार पुनर्विनियोग करते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''4801- बिजली परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय -06- ग्रामीण विद्युतीकरण -789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-07- दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कार्यो हेतु अंशपूँजी- 30-निवेश/ऋण में दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष अनुमति प्रदान करते है :-

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण नकद न करके पुस्तक समायोजन के माध्यम से किया जायेगा।

3- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाया जायेगा तथा तत्संबंधी बिल ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को प्रतिहस्ताक्षर हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ इलाहाबाद और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''4801- बिजली परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय -06- ग्रामीण विद्युतीकरण -789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-07-दीन दयाल उपाध्याय ग्राम

http://srasanadesh.up.nic.in

ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कार्यों हेतु अंशपूँजी-30-निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा तथा भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि को लेखाशीर्षक 0801- बिजली -06- ग्रामीण विद्युतीकरण -800- अन्य प्राप्तियॉ -01- ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अंशपूँजी हेतु भारत सरकार से प्राप्ति के अन्तर्गत जमा किया जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-10-यू0ओ0- 66 /दस-2018, दिनांक 31 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

इन्द्रराज सिंह
संयुक्त् सचिव।

संख्या- 46 /2018/783(1)/24-1-18, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
2- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
4- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- वित्त (वयय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

इन्द्रराज सिंह
संयुक्त् सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in